29/5/18 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। आपत्ति बाबत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 10-5-18 पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

प्रार्थी/वादी ने दिनांक 16-5-18 को आपत्ति विभाजन प्रस्ताव पेश की। बहस के दौरान आपत्ति में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी के वाद में जो सहमति चाही है उसके विपरीत उप तहसीलदार पलसाना ने विभाजन प्रस्ताव तैयार किया है। वादी को अलग खसरा नम्बर नहीं दिया गया है। जबकि प्रतिवादीगण को अलग खसरा नम्बर देकर विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है। वादी को संयुक्त रूप से रखा गया है। चाही गई सहमति के विपरीत विभाजन प्रस्ताव है। वादी को कोई सूचना नहीं दी तथा न ही प्रस्ताव पर वादी के हस्ताक्षर करवाये गये हैं। प्रस्ताव मौके की वास्तविक स्थिति के विपरीत है। प्रस्ताव में एक ही खसरा नम्बर के बटा नम्बर डाले गये हैं। प्रस्ताव में रास्ते का कोई अंकन नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में वादी की आपत्ति स्वीकार की जाकर उप तहसीलदार पलसाना से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव क्रमांक [illegible]/2018 दिनांक 10-5-2018 निरस्त किया जाकर पुनः विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जावे।

अप्रार्थी/प्रतिवादी मोहनलाल आदि के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान निवेदन किया कि उप तहसीलदार पलसाना द्वारा विभाजन प्रस्ताव मौके पर जाकर तैयार किया गया है। पक्षकारान को विधिवत नोटिस देकर तैयार किया गया है। मौके के अनुसार विभाजन प्रस्ताव है। वादी ने आपत्ति में विधिक त्रुटि का अंकन नहीं किया। अगर वादी नोटिस प्राप्त होने के बावजूद भी मौके पर उपस्थित नहीं होता है तो यह माना जावेगा कि उसकी मौन स्वीकृति बंटवारा को दे रखी है। बंटवारा प्रस्ताव विधिक प्रक्रिया अपनाकर तैयार किया गया है। ऐसी स्थिति

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा आपत्ति बाबत विभाजन प्रस्ताव एवं पत्रावली अवलोकन आपत्ति विभाजन प्रस्ताव दिनांक 10-5-2018, उप तहसीलदार पलसाना से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव क्रमांक 42/2018 दिनांक 10-5-2018 का अवलोकन किया। इस न्यायालय के निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 11-2-2017 में अंकित शर्तों की पालना करते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार कर इस न्यायालय में निष्पादन हेतु उप तहसीलदार पलसाना को निर्देश दिये गये थे। उप तहसीलदार पलसाना के द्वारा जारी नोटिस क्रमांक 42/17/794-813 दिनांक 16-8-17 के अवलोकन से जाहिर है कि वादी बलदेव के नोटिस पर हस्ताक्षर नहीं हैं। इससे यह जाहिर होता है कि नोटिस की तामील वादी बलदेव पर नहीं हुई है। बाद में वादी के द्वारा चाही गई सहमति के अनुरूप उप तहसीलदार पलसाना ने बंटवारा प्रस्ताव नहीं निकाला है। विभाजन प्रस्ताव पक्षकारान के शामलाती रूप से बंटवारा किया गया है। वादी का हिस्सा अलग से नहीं दर्शाया गया। विभाजन प्रस्ताव विधि विरुद्ध है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों की कोई पालना नहीं की गई। वादी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति विभाजन प्रस्ताव आपत्तित स्वीकार किये जाने योग्य है। अतः वादी/प्रार्थी का आवेदन पत्र बाबत आपत्ति विभाजन प्रस्ताव दिनांक 10/5/18 स्वीकार किया जाता है। उप तहसीलदार पलसाना से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव क्रमांक 42/2018 दिनांक 10/5/18 निरस्त किया जाता है तथा उप तहसीलदार पलसाना को निर्देश दिये जाते हैं कि अब इस न्यायालय के निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 11-2-2017 में अंकित शर्तों को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान को नोटिस देकर मौके पर नापजोख कराकर उनकी उपस्थिति में रास्ते के

सहायक कलक्टर (मु.)
सीकर